(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1)

Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Education/Siksha Mantralaya
Department of Higher Education/Uchchatar Siksha Vibhag
(ICR Division)

Shastri Bhavan, New Delhi
Dated: 19th January, 2026

NOTIFICATION

No. 10-10/2025-U.3(A): Whereas, Narsee Monjee Institute of Management Studies (NMIMS) (Deemed to be University), Mumbai, Maharashtra submitted an online application on UGC Portal to start an off-campus Centre at Gibpura-Ahead of Shantipura Circle, Sanand-Sarkhej Highway Road, Sanand, Ahmedabad, Gujarat under the provisions of UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023.

2. **And whereas**, UGC vide letter No. F. 30-5/2018 (CPP-I/DU) dated 19.06.2025, recommended for issuance of Letter of Intent (LoI) to NMIMS (Deemed to be University), Mumbai, Maharashtra with certain conditions. Accordingly, the Ministry, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (LoI) dated 16.07.2025 to NMIMS (Deemed to be University), Mumbai, Maharashtra for fulfilment of the certain conditions within a period of 3 years before starting an off-campus at Sanand, Ahmedabad, Gujarat.

3. **And further whereas**, the Registrar, NMIMS (Deemed to be University), Mumbai, Maharashtra, vide letter No. R/MoE/86606/2025 dated 11.08.2025, submitted compliance report in respect of fulfilment of the conditions of the LoI. The same was forwarded to UGC for verification and advice. UGC, vide letter No. F. 30-5/2018 (CPP-I/DU) dated 29.12.2025, conveyed that the compliance report was examined and accepted by its Standing Committee.

4. **Now, therefore**, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby accords approval to Narsee Monjee Institute of Management Studies (NMIMS) (Deemed to be University), Mumbai, Maharashtra to start an off-campus Centre at Gibpura-Ahead of Shantipura Circle, Sanand-Sarkhej Highway Road, Sanand, Ahmedabad, Gujarat, subject to compliance of the following conditions:

i. The Institution shall recruit a minimum of 50 faculties with requisite qualifications as per the norms of UGC or respective statutory councils.
ii. The Institution shall start the off-campus centre with a minimum of one thousand students.
iii. The Institution shall ensure that the total numbers of proposed PG or research students should not be less than one-fifth of the total number of students.
iv. The Institution shall maintain the teacher-students ratio of 1:20.

5. No students shall be admitted in the above said off-campus before compliance of the conditions mentioned in Para 4 above.

6. Narsee Monjee Institute of Management Studies (NMIMS) (Deemed to be University), Mumbai, Maharashtra shall abide by all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the directions, Rules, Regulations of Central Government, UGC and other Statutory Councils, issued from time to time.

(Armstrong Pame)
Joint Secretary to the Government of India
Tel: +91 11 2307 1486

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi – 110002

<u>Copy forwarded to</u>:

1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi (With request to verify the compliance of the conditions mentioned in Para 4 before start of Academic session)
2. The Vice-Chancellor, Narsee Monjee Institute of Management Studies (NMIMS) (Deemed to be University), Mumbai, Maharashtra – 400056(With request to comply with the conditions mentioned in Para 4 and 5 of the above conditions and submit a compliance report before taking admission in the said off- campus.)
3. The Member Secretary, All India Council for Technical Education (AICTE), Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070.
4. The Secretary, Department of Higher and Technical Education, Government of Maharashtra.
5. The Secretary, Commissionerate of Higher Education, Government of Gujarat.
6. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi.
7. The Secretary General, Association of Indian Universities, AIU House, 16, Kotla Marg, New Delhi-2.
8. Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi. It is requested that CMIS Unit may kindly be instructed to display the Notification on the website (Home site) of the Department.
9. Guard file / Notification file.

(Jyoti Ranjan)
Under Secretary to the Government of India
Tel: +91 11 23381578

(भारत के राजपत्र के भाग-I के खंड-I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
(आईसीआर प्रभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 19 जनवरी, 2026

अधिसूचना

संख्या. 10-10/2025-यू.3(ए): जबकि, नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एनएमआईएमएस) (सम विश्वविद्यालय), मुंबई, महाराष्ट्र ने यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के प्रावधानों के तहत गिबपुरा-शांतिपुरा सर्कल से आगे, सानंद-सरखेज हाईवे रोड, सानंद, अहमदाबाद, गुजरात में एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने के लिए यूजीसी पोर्टल पर एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. **और जबकि**, यूजीसी ने दिनांक 19.06.2025 के पत्र संख्या एफ. 30-5/2018 (सीपीपी-I/डीयू) के माध्यम से, कुछ शर्तों के साथ एनएमआईएमएस (सम विश्वविद्यालय), मुंबई, महाराष्ट्र को आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की अनुशंसा की है। तदनुसार, मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर, एनएमआईएमएस (सम विश्वविद्यालय), मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 16.07.2025 को आशय पत्र (एलओआई]) जारी किया, जिसमें सानंद, अहमदाबाद, गुजरात में ऑफ-कैंपस शुरू करने से पहले 3 वर्ष की अवधि के अंदर कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए कहा गया है।

3. **और इसके अतिरिक्त जबकि**, कुलसचिव, एनएमआईएमएस (सम विश्वविद्यालय), मुंबई, महाराष्ट्र ने दिनांक 11.08.2025 के पत्र संख्या आर/एमओई/86606/2025 के माध्यम से, आशय पत्र की शर्तों को पूरा करने के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसे सत्यापन और सलाह हेतु यूजीसी को अग्रेषित किया गया। यूजीसी ने दिनांक 29.12.2025 के पत्र संख्या एफ. 30-5/2018 (सीपीपी-I/डीयू) के माध्यम से बताया कि अनुपालन रिपोर्ट की जांच की गई और यूजीसी की स्थायी समिति ने उसे स्वीकार कर लिया है।

4. अब**, इसलिए**, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर, नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एनएमआईएमएस) (सम विश्वविद्यालय), मुंबई, महाराष्ट्र को गिबपुरा-शांतिपुरा सर्कल से आगे, सानंद-सरखेज हाईवे रोड, सानंद, अहमदाबाद, गुजरात में एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने की स्वीकृति प्रदान करता है, जो निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के अध्यधीन होगी:

i. संस्थान यूजीसी या संबंधित सांविधिक परिषदों के मानदंडों के अनुसार अपेक्षित योग्यता वाले कम से कम 50 संकायों की भर्ती करेगा।
ii. संस्थान कम से कम एक हज़ार छात्रों के साथ ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करेगा।
iii. संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तावित पीजी या अनुसंधान विद्यार्थियों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या के पांचवें हिस्से से कम न हो।

iv. संस्थान को शिक्षक-छात्र अनुपात 1:20 बनाए रखना होगा।

5. ऊपर पैरा 4 में बताई गई उक्त शर्तों को पूरा किए बिना ऊपर उल्लिखित ऑफ-कैंपस में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

6. नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एनएमआईएमएस) (सम विश्वविद्यालय), मुंबई, महाराष्ट्र इस मंत्रालय द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों के साथ-साथ केंद्र सरकार, यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों, नियमों और विनियमों का पालन करेगा।

(आर्मस्ट्रॉग पामे)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: +91 11 2307 1486

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड़, नई दिल्ली - 110002

<u>प्रति अग्रेषित</u>:

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली (शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले पैरा 4 में बताई गई शर्तों के पालन को सत्यापित करने के अनुरोध के साथ)
2. कुलपति, नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एनएमआईएमएस) (सम विश्वविद्यालय), मुंबई, महाराष्ट्र - 400056 (पैरा 4 और 5 में बताई गई शर्तों का पालन करने और बताए गए ऑफ-कैंपस में प्रवेश देने से पहले अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ।)
3. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070
4. सचिव, उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार
5. सचिव, उच्चतर शिक्षा आयुक्तालय, गुजरात सरकार
6. प्रेस सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
7. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-2
8. वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। इस अनुरोध के साथ कि सीएमआईएस यूनिट को निर्देश दिया जाए कि वे इस अधिसूचना को विभाग की वेबसाइट (होम साइट) पर प्रदर्शित करें।
9. गार्ड फाइल / अधिसूचना फाइल

(ज्योति रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: +91 11 23381578